

8-06-18

उपखण्ड अधिकारी सरवाड़

पत्रावली पेश हुई। वादी पंछीलाल हाजिर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 128, 188, 209, 92A का शतकारी अधि. के तहत पेश किया है। खसरा नं. 1850 रकबा 0.1600 बी. 3 का नाप रोक कर लेकर विवाद होना प्रथम दृष्टया पाया जाता है। फलकारान में विवाद न हो इसलिए भूमि मापा जाना आवश्यक है।

बेतन

गामर

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत भगवन्तपुरा
प० सं० अरांडी (अजमेर)

उमर 10

अतः तहसीलदार सरवाड़ दक्ष पटवारियान व गिरदावर की टीम
गठित करें। तथा सीमांकन करावें ताकि प्रकरण का अन्तिम
निस्तारण किया जा सके। खर्चा फरिबेन अपना 2 वहन करें
आदेश भूजमें ग्राम अदल सेवा केन्द्र अजमेर
में सुनाया गया।

सदस्य

लोक अदालत
सरवाड़ (अजमेर)

उद्य
सदस्य

लोक अदालत शिपिर
सरवाड़ (अजमेर)

12

अजमेर

लोक अदालत शिपिर
सरवाड़ (अजमेर)